



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अभि.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम व जिला की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
L	सुनार कुडी	3, 25, 45, 115	केशर सिंह पुत्र धन्ना सिंह	मेसर सिंह पुत्र धन्ना सिंह

(after)
 सी.एस.जी. अदालत एवं
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 जिला अदालत एवं
 पदेन सहा.कलक्टर
 दिनांक:-

क्रमांक:- 2026/89
 प्रतिलिपि:-

01. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
02. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
03. रक्षित पत्रावली।

.....
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 जिला अदालत एवं
 पदेन सहा.कलक्टर